

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक (कारागार) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता	:	बंदी प्रवीण यादव पुत्र श्री जगपाल सिंह
आर.टी.आई कम्प संख्या	:	11043-आई दिनांक 27/09/2023
अपील कम्प संख्या	:	80 दिनांक 07/12/2023

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी के द्वारा प्रदान की गई सूचना दिनांक 02/11/2023 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

किसी संगठन में किसी कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन प्रारंभिक तौर पर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला होता है और आमतौर पर उन पहलुओं को सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आते हैं। अतः जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक, कारागार संख्या-10 द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक है। अन्य किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार प्रथम अपील निरस्त की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

उप महानिरीक्षक कारागार/
प्रथम अपीलीय अधिकारी ⁰¹

बंदी प्रवीण यादव पुत्र श्री जगपाल सिंह

F10(3476489)/11043-I/CJ/Legal/2023/9186-87 Dated: 29/12/2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-10, रोहिणी, नई दिल्ली-110089.